

इकबाल बनाम जुसफ वगै0 प्रा0 पत्र 212 आरटीए एक्ट दिनांक: 04.11.2020

पत्रावली आज प्रार्थी के प्रा0पत्र मूल दावे में लगाने के कारण पेशी में ली गई। मूलदावा आपसी सहमति के आधार व विद्वो प्रा.पत्र देने पर प्रा0पत्र स्वीकार कर मूलदावा इसी स्तर पर खारित कर दिया गया है। अतः इस पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही की जानी शेष नहीं है। अतः पत्रावली खारिज की जाकर फैसलशुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो।

